न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प कोर्ट गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2015

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेंटस
1. वागाराम पुत्र रिड़मलराम 2. भगवानाराम पुत्र रिड़मलराम जाति विश्नोई निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 26.5.2015 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित– 1. अपीलांट संख्या 01 व 02 उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 22.6.2016

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस की कदीमी कब्जा–काश्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 728/30 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी अवल लगान 2.15 रूपये मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। जिसमें अपीलांटस की ढाणी, बाड़े एवं टांके बने हुए है। रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी ने गैर कानूनी रूप से अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व सपठित धारा 90 ए के तहत प्रकरण संख्या 02/2015 दर्ज कर गैर कानूनी तरीके से मौके की जांच किये बिना आदेश दिनांक 26.5.2015 पारित किया, जो अपास्त किये जाने के काबिल है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गुड़ामालानी में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस संख्या 01 से 02 एवं रेस्पोडेंट उपस्थित रहे।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस द्वारा जाहिर किया गया कि हमारे खातेदारी एवं कब्जा काश्ता खेत खसरा नंबर 728/30 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी अवल लगान 2.15 रूपये मौजा नया नगर तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है, जिसमें हमे बहैसियत खातेदार कृषक के सभी हक–हकूक प्राप्त है। अपीलांट ने अपनी खातेदारी की भूमि होते हुए अपने पक्के आवासगृह के निर्माण हेतु उक्त खसरा नंबर 728/30 रकबा 8 बीघा में से 01 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर, आवेदन किया एवं दिनांक 12.12.2014 को 8095 रूपये तहसील कार्यालय में जमा करवाये जाने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन किये गये बिना गांव के प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर अपीलांट की पुश्तैनी कब्जा–काश्ता खातेदारी कदीमी भूमि पर निवासस्थल एवं उसके निर्माण को हटाने एवं खातेदारी भूमि से बेदखल कर निर्माण सामग्री को जब्त करने तथा जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट द्वारा जाहिर किया कि ग्राम नया नगर के खसरा नंबर 728/30 रकबा 8.00 बीघा किस्म बा.अ. अपीलांट की खातेदारी भूमि है, जो मेगा हाईवे के लगती हुई होने एवं मेगा हाईवे की सीमा में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जो नेशनल रोड़ कांफेंस के नियमों के विपरीत होने के कारण बेदखल कर, अवैध निर्माण को हटाने का आदेश पारित किया गया है।

5. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.5.2015 के विरूद्व पेश की है। मौजा नया नगर के खसरा नंबर 728/30 रकबा 8.00 बीघा में से 01 बीघा में अपीलांटस द्वारा निवासगृह बनाया जा रहा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धरा 5 (19) के अनुसार ऐसे निर्माण कार्य जो जोत के उपयोग के लिए लाभप्रद या सुविधाजनक है, उनको सुधार माना जायेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 67 के ''परन्तु'' में यह यह स्पष्ट किया गया हैं कि किसी भी भूमि धारक को अपनी कुल कृषि जोत के पचासवें हिस्से तक सुधार हेतु संनिर्माण करने का अधिकार है, अपीलांट द्वारा उक्त नियम की अवहेलना नहीं की गई

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के कुछ भाग पर ही पक्का निवासगृह निर्माण करवाया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विधि सम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.5.2015 को अपास्त्त किया जाता है।

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 22.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)